

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1694
उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

ओबीसी के लिए आरक्षण नीति

1694. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मंत्रालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई कल्याणकारी उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न पदों/सेवाओं में कुल कितने अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती और नियुक्ति की गई है;
- (घ) क्या मंत्रालय के पास अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निर्धारित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ग): भारत सरकार के पास कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन के तहत एक आरक्षण नीति है और समय-समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेश हैं, जिसके अंतर्गत सरकारी सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 27% रिक्तियां अन्य पिछड़े वर्गों (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग-एसईबीसी) के लिए आरक्षित हैं। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(ख), (घ) और (ङ): मंत्रालय अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है -

अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए ओबीसी और अन्य के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी) नामक व्यापक योजना जिसमें निम्नलिखित घटक हैं।

- (i) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- (ii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- (iii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा
- (iv) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा
- (v) ओबीसी के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।

व्यापक योजना "यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस-ओबीसी)", जिसमें दो उप-योजनाएं हैं, अर्थात्-

- (i) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप
- (ii) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अम्बेडकर केन्द्रीय क्षेत्र योजना।

ओबीसी से संबंधित योजना में समय-समय पर संशोधन सभी हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के परामर्श से किया जाता है।
